विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन

दयालबाग ऐजूकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड विश्वविद्यालय)

दयालबाग़, आगरा की

पी0एच0डी0 (शिक्षा) उपाधि हेतुप्रस्तुत

शोधप्रबन्ध की रूपरेखा

(2015)

शोधनिर्देशक
डा0 छविलाल
असिस्टेण्ट प्रोफेसर

शोधार्थी
संजय गौतम

विभागाध्यक्ष
डिपार्टमेन्ट ऑफ पेडागोजीकल साइन्सेज

संकाय प्रमुख
शिक्षासंकाय

शिक्षासंकाय
दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
दयालबाग, आगरा–282005 (उ0प्र0)

1.0 प्रस्तावना

समाज का प्रमुख आधार मनुष्य होता है, जब तक मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से उसकी अन्तर्निहित शक्तियों से अवगत न कराया जाये तब तक उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव नहीं है, और बालक के संर्वागींण विकास के अभाव में समाज की नींव एवं व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा जीवन को व्यावहारिक धरातल प्रदान करती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सच्चाईयों को उजागर करती है। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का प्रसंग आते ही देश में सदियों से उपेक्षित एवं शोषित जातियों की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है जिसने जाति–भेद की समस्या को जन्म दिया।

जाति भेद की समस्या का सूत्रपात वैदिक कालीन समाज व्यवस्था से प्रारम्भ होता है। वर्ण व्यवस्था का जब कोई नाम लेता है तो वेदों, पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों में अंकित सीमित अधिकारों की ओर अनायास ही ध्यान आकर्षित हो जाता है, क्योंकि मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यदि शिक्षा के गौरवपूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इसकी प्राचीनता एवं विद्वता का प्रमाण हमें मनुस्मृति से ज्ञात होता है।

मनुस्मृति के अन्तर्गत शूद्रों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो) एवं महिलाओं को सीमित अधिकार प्रदान किये गये थे। जिनमें कर्तव्य अधिक थे और अधिकार कम। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था लेकिन धीरे–धीरे इस वर्ग और जाति की स्थापना वंश के आधार पर होने लगी। और यहीं से शोषण प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इस प्रकार भारतीय सामाजिक संरचना में धार्मिक वैधानिकता में सामाजिक क्रियाकलापों पर अधिकार कर उच्च वर्गो के अधिकारों तथा श्रेष्ठताओं को अक्षुण्य बना दिया, फलस्वरुप समाज के कमजोर वर्ग, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रुप से कमजोर होते चले गये और ब्राह्मण वर्ग ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत मानकर इन्हे शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया। समाजसेवी संस्थाओं की ओर से इस वर्ग विशेष की शिक्षा की कोई व्यवस्था उन्नीसवीं सदी तक नहीं की गयी।

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जाता था। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक किसी न किसी रुप में भारतीय समाज का सर्वाधिक प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था रहीं है। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण समाज को चार वर्गो में –ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया। अनेक विषयों के द्वारा सभी वर्गो के अधिकार एवं कर्तव्यों को इस प्रकार से निर्धारित किया गया जिससे समाज की सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित रुप से पूरा किया जा सके।

चतुर्थ वर्ण में विभाजित जाति व्यवस्था में शूद्रों को जो शिक्षा दी जा रही है, वह नाममात्र की होती थी। इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन करने पर यह भी ज्ञात होता है कि इस वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय थी। वास्तव में भारतवर्ष के अन्दर जाति ही अधिकांशतः एक व्यक्ति के कार्य, स्तर, प्राप्त अवसरों तथा साथ ही प्रतिद्विन्द्वता को भी निश्चित करती थी। जातीय अन्तर घरेलू तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते थे। सांस्कृतिक प्रतिमानों में अन्तरों को निश्चित करते थे, यहाँ तक कि भूमि स्वामित्व भी प्रायः जातीय आधार पर निश्चित होता था, बहुत से कार्यों प्रायः प्रशासनिक कार्य भी विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय आधार पर विभक्त होते थे। जातीय, संकुचित धर्मों एवं व्यक्तियों की धर्म निरपेक्ष संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करती थी। उच्च कोटि के मनुष्य निम्न जाति के वर्ग पर अनाधिकार चेष्टा करके आदिवासी, हरिजन, बन्धक तथा श्रमिक आदि को शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर निषेध का जीवन यापन करने पर बाध्य किया करते थे। इनकी सन्तानों को प्रायः वही व्यवसाय करने को दिया जाता था, जो कि उनकी वंश परम्परा के अनुकूल होता था। इस प्रकार शूद्रों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो) को प्राचीन काल में आवश्यकता से अधिक अत्याचार एवं पद दलित किया गया।

वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात प्राचीन समाज व्यवस्था से माना जाता है। भारतीय समाज व्यवस्था की स्थापना वेद, पुराण, उपनिषद् स्मृतियों आदि के अनुसार की गयी थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर वेद और शास्त्रों में भी समाज के जिन गुण, कर्म तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से हीन इस वर्ग को कम से कम उतना ही महत्व दिया है, जितना कि मानव शरीर में चरणों को। जैसा कि ऋग्वेद के निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है –

ब्राह्मणोस्य मुख्यासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।
उरुतदस्य यत्वैश्य पदम्यां, शूद्रों अजायतः ।।
– ऋग्वेद म0 10 अ0 7, सूत्र 9, पृ0 1947

अर्थात् ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य पेट से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं।

वैदिक काल में माने गये शूद्र ही परिगणित जातियों (अनूसचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े जाति) के नाम से जाने जाते हैं। जिनके पूर्वज सदैव अन्धकार में रखे गये, जिनका अति प्राचीन काल से लेकर हिन्दू युग की तरह मुस्लिम और विदेशी सत्ताओं ने भी इस वर्ग की अज्ञानता, दुर्दशा और हीनता से प्रोत्साहित होकर अनेक मानवीय यातनायें देकर इसका शोषण किया है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ग के लोग आज भी अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं।

प्रत्येक व्यवस्था अपने स्थायित्व के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहती है। वैदिक परम्परा ने अपने आप को स्थायी रखने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। ब्राह्मणों ने भी समाज को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व सँभाला, क्योंकि वे भाषा आदि में निपुण थे। अतः वे ज्ञान के संरक्षक बन गये। वे ही धर्म ग्रन्थों व सामाजिक नियमावलियों के रचियता एवं धर्म व जाति पर आधारित व्यवस्था के नियमों की व्याख्या करने वाले हो गये। जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा भी पूर्णतया धार्मिक, वैयक्तिक तथा सत्तावादी बनकर रह गयी।

इस जाति आधारित व्यवसाय व वर्ग विभाजन हो भी अपनाया गया तथा कथित निम्न समझी जाने वाली जातियों से शिक्षा का अधिकार भी छिनता चला गया। ब्राह्मणों के हाथों में शिक्षा एक अस्त्र बन कर रह गयी, जिसे रूढ़िवाद, स्वयं की श्रेष्ठता, संस्कृति आदि का पोषक कर सके और जीवन के धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक जीवन पर पूर्ण अधिकार जमाने में ये शताब्दियों तक सफल रहे हैं तथा इस वर्ग की शिक्षा पर स्वन्त्रता से पूर्व बहुत कम ही ध्यान दिया गया।

1.2 अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए विभिन्न समाजसेवियों द्वारा किये गये प्रयास

अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में देश की अन्य गैर अनुसूचित जाति की तुलना में काफी पीछे हैं। ये भारत के शिक्षाविदों एवं शैक्षिक विकास से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के सम्मुख एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि इस वर्ग के व्यक्तियों के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक कारणों के साथ साथ जातीय भेदभाव तथा अस्पृश्यता जैसे अनेक सामाजिक कारण भी हैं। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये गये थे। जिनमें प्रमुख रूप से कबीर दास, रैदास, गुरुनानक, महात्मा ज्योतिराव फूले, रामास्वामी पैरियार, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणगुरू, महात्मा गाँधी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, काशीराम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर (1951) ने अपनी पुस्तक ''जाति विच्छेद'' में जाति भेद एवं हिन्दू धर्म पर एक स्पष्ट गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों में एक नवीन चेतना का विकास हुआ है।

1.3 अनूसूचित जाति की शिक्षा

अनूसूचित जाति की शिक्षा के लिए अनेक समाजसेवियों द्वारा अनेक प्रयास किये गये, लेकिन उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली, जिसका मुख्य कारण जाति भेद था। जाति भेद के कारण इन जातियों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर दबाये रखा गया तथा घोर अत्याचार करके प्रताड़ित किया गया था, जिससे इन जातियों के लोग ऊँचे न उठ सकें, जिसके उदाहरण वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों आदि धार्मिक ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं।

अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर इस वर्ग की शिक्षा के प्रति विदेशी शासकों का ध्यान अवश्य गया और उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में साथ बैठकर शिक्षा में प्रवेश की खुली छूट दे दी, परन्तु सामान्य जातियों के बालकों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप इन जातियों में साक्षरता का प्रवेश नहीं हुआ है।

स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व जब गाँधी जी के हाथों में आया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, गाँधी जी ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कोढ़ घोषित किया और इस वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने पर विशेष बल दिया। परिणामस्वरूप गाँधी जी के साथ अनेक सेवी संस्थाओं

ने रात्रि के समय गाँव में जाकर इस वर्ग के व्यक्तियों के अक्षर ज्ञान कराने लगे और यहीं से इस वर्ग की शिक्षा का शुभारम्भ माना जाता है।

अनुसूचित जाति की शिक्षा में परिवर्तन उस समय आया, जब देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की और राष्ट्र निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया तो उन्होंने सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था में सबसे निकृष्ट समझी जाने वाली इन जातियों के उत्थान के लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये, जिससे इस वर्ग को किसी प्रकार से हीन न समझा जाये। इसके लिए संविधान में कुछ विशेष अनुच्छेदों का प्रावधान किया। यद्यपि देखा जाये तो संविधान को लागू हुये 65वर्ष पूरे हो चुके हैं। फिर भी इस वर्ग के लोगों को शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास उतना नहीं हो पाया है, जितना कि संविधान लागू होते समय कल्पना की गयी थी, क्योंकि आज भी समाज में काफी रूढ़ियाँ देखने को मिलती हैं और इस वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है।

वर्ष 1990–91 डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष था। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति (1991) ने निर्णय लिया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जायें, जिससे इस जाति वर्ग के लोगों में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास किया जाये। इस समिति ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन तथा अनेक दलित समाज सेवियों के जीवन दर्शन पर चर्चायें, सेमिनार तथा निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिनमें शिक्षाशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया और वर्ग की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की। यह भी व्यक्त कियागया किइस जाति वर्ग के लोगों का उतना विकास सम्भव नहीं हो पाया है जितना की होना चाहिये। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र–छात्राओं की योग्यता बढ़ाने के लिए वर्ष 1987–88 में जो योजनायें लागू की गयी, वे अभी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित तो की जा रही हैं, लेकिन अभी भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन सक्रियता के साथ नहीं किया जा रहा है। ऐसा अनेक शिक्षाविदों तथा (समाजशास्त्रियों) के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। अभी भी इन जातियों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिससे ये जातियाँ सामान्य जातियों के बराबर आ सके । चिटनिस (1981), डी0 सूजा (1980), मल्होत्रा (1986), एम0के0 गौतम (1999), कल्पना अग्निहोत्री (2004)।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की छठवीं रिपोर्ट (1999–2001)में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन जातियों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में इस जाति वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए जो योजनायें चलायी जा रही हैं। वे अभी भी पूरी ईमानदारी के साथ लागू नहीं की गयी और इन जातियों के संरक्षण और विकास के लिए जो विशेष प्रावधान किये गये हैं, उनका ईमानदारी के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। इसी सन्दर्भ में आयोग ने विभिन्न सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रेषित की हैं, जिस पर गम्भीरता के साथ अमल किये जाने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति आयोग की सातवीं रिपोर्ट (2003—2004) भी तैयार होकर फरवरी 2004 को भारत बाकी है। लेकिन यह सातवीं रिपोर्ट अभी राष्ट्रपति भवन में पड़ी हुई है, जिस पर विचार करके अमल करने का सरकार के पास समय नहीं है, जो कि चिन्ता का विषय है।

1.4 अनुसूचित जाति की जनसंख्या

1987—88 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 44 अनुसूचित जाति जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अनुसूचित जाति के शैक्षिक आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण अस्पृश्या की पुरानी प्रथा है। जिसके कारण अनुसूचित जाति के लोग सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवसरों से वंचित रहे हैं। आज भी इस वर्ग के लोगों को निम्न शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक दर्जा मिला हुआ है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण को बढ़ावा देने में ईमानदारीपूर्वक किये गये प्रयासों के बावजूद यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

अनीता होर्स की रिपोर्ट (1991)में अनुसूचित जाति और जनजातियों की दशाओं के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक पाँच भारतीयों में से एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति समझा जाये। हमारे देश में स्वतन्त्रता, समानता, भाई—चारा एवं न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिएसमान है। यह बात सरलता से कह तो देते हैं, लेकिन यह बात अक्षरशः सही नहीं उतरती, क्योंकि आज भी जनसंख्या का इतना बड़ा भाग अनुसूचित जाति होने के बाद भी इनका शोषण किया जा रहा है। जो कि इतनी जनसंख्या के लिए चिन्ता का विषय माना जा रहा है।

भारत में यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाये तो जनसंख्या का एक बड़ा भाग अनुसूचित जातियों का है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.86 करोड़ है जिनमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ थी जो भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का 16.23 प्रतिशत है। भौगोलिक दृष्टि से अनुसूचित जातियाँ देश के प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में पायीं जाती हैं। ये जातियाँ कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और पाण्डिचेरी में पर्याप्त मात्रा में बसी हुई हैं।

1.5 भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिये किये गये विशेष प्रावधान्

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का नया संविधान बनाने का कार्य संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डा0 भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया तो उन्होंने पिछड़े वर्गो विशेष रुप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये संविधान में अनेक राजनीतिक अधिकारों एवं व्यवस्थाओं के साथ—साथ समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने के लिये अनेक व्यवस्थायें जैसे— आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं, सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार के शोषण से उनके संरक्षण की बात कही गयी है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, 15(4), 15(5), 16(4), 16(4अ), 16(4ब), 17, 19, 23, 25, 46, 164(1),

275(1), 243(टी), 330, 332, 334, 335, 338, 341 एवं 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये किये गये विशेष अनुच्छेदों से स्पष्ट है।

1.6 भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लोगों के उन्नयन के लिये किये गये विशेष संवैधानिक संशोधन

भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों के उन्नयन के लिये अनेक संशोधन भारतीय संविधान में किये गये है ये संशोधन 8वां संशोधन अधिनियम 1960, 23वां संशोधन अधिनियम 1969, 45वां संशोधन अधिनियम 1980, 51वां संशोधन अधिनियम 1984, 57वां संशोधन अधिनियम 1987, 62वां संशोधन अधिनियम 1989, 65वां संशोधन अधिनियम 1990, 72वां संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संशोधन अधिनियम 1993, 74वां संशोधन अधिनियम 1994, 77वां संशोधन अधिनियम 1995, 79वां संशोधन अधिनियम 1999, 81वां संशोधन अधिनियम 2000, 82वां संशोधन अधिनियम 2000, 83वां संशोधन अधिनियम 2000, 84वां संशोधन अधिनियम 2001, 85वां संशोधन अधिनियम 2001, 89वां संशोधन अधिनियम 2003, 90वां संशोधन अधिनियम 2003, 93वां संशोधन अधिनियम 2006, 95वां संशोधन अधिनियम 2010 आदि विशेष उल्लेखनीय है।

1.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ''विशेष प्रकोष्ठ'' (स्पेशल सेल)

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित समिति की 42वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुपालन में जनवरी 1977 में इस विशेष प्रकोष्ठ'' (स्पेशल सेल) की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों के आरक्षण से सम्बन्धित नीति की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और संसद सदस्यों को आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए एक सम्पर्क एकक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ–साथ महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अध्यापक, कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की भी इस प्रकोष्ठ द्वारा जाँच की जाती है और उन्हें आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ बिठाया जाता है, जिससे उनका समाधान खोजा का सके तथा उनके प्रति कानूनन कार्यवाही भी की जा सके।

1.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 में अनुसूचित जातियों के उन्नयन के लिए सोचे गये उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 में अनुसूचित जातियों के उन्नयन के लिए अनेक उपाय सोचे गये हैं, जिससे इन जातियों के लोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामान्य जातियों के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों एवं सभी स्तरों में इन चार आयामों के अन्तर्गत होनी आवश्यक हैं – (1) शहरी क्षेत्रों के पुरुष, (2) शहरी क्षेत्रों की महिलाओं, (3) ग्रामीण क्षेत्रों के पुरूषों (4) ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में। इन्हीं मकसद के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्यपरक योजना 1992 में निम्नलिखित उपाय सोचे गये हैं –

(i) निर्धन परिवार को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये, कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें।

(ii) सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चे के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जायेगी। ऐसे परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना, उनके साथी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जायेगा ताकि उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किये जाने के प्रस्ताव पास किये गये हैं।

(iii) ऐसी सुनिश्चित व्यवस्थायें करना और जाँच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है, साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की सम्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिये उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करने का भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है।

(iv) अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना भी स्वीकार किया गया है।

(v) जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों की सुविधायें क्रमिक रूप से बताये जाने को भी स्वीकार किया गया है।

(vi) विद्यालय भवनों, बाल–बाडियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति व्यक्तियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना स्वीकार किया गया है।

(vii) अनुसूचित जाति के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के साधनों का प्रयोग किया जाना भी स्वीकार किया गया है।

(viii) अनुसूचित जातियों की शिक्षा प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नये तरीकों की खोज करना भी स्वीकार किया गया है।

1.9 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के उन्नयन से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए अनेक योजनायें बनायी गयी हैं, जिससे अनुसूचित जातियों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार किया जा सके और अनुसूचित जाति के साक्षरता प्रतिशत को उचित अनुपात में लाया जा सके ताकि प्रत्येक स्तर पर समानता का दर्जा दिया प्राप्त हो सके।

1.10 केन्द्र सरकार की योजनायें

केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर अनेक योजनायें बनायी हैं, जिससे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो सके तथा प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से इसका पालन किया जा सके। ये योजनायें निम्नलिखित रूप में तैयार की गयी हैं –

(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडीकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं, सैनिक स्कूलों सहित प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना।

(ख) प्रवेश पाने के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को आयु सीमा तथा अंकों में छूट देना।

(i) प्रत्येंक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना।

(ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अंकों के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत जाति का आरक्षित कोटा भरने के लिए आयु सीमा (उम्र) में आगे और रियायत देना।

(iii) उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य हेतु अनेक अनुसन्धान छात्रवृत्तियों एवं अध्येतावृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

(ग) विश्वद्यिालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर रहे विद्यार्थियों के लिए 287 अवर अनुसन्धान अध्येतावृत्ति सुनिश्चित की गयी है।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 50 अवर एवं 20 वरिष्ठ अनुसन्धान अध्येतावृत्ति सुनिश्चित की गयी है।

(ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वरिष्ठ अनुसन्धान अध्येतावृत्ति (10 फैलोशिप)का 10 प्रतिशत और 20 अनुसन्धान अध्येतावृत्ति (रिसर्च ऐसोसियेटशिप) आरक्षित रखी गयी है।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीमान्त पहाड़ी क्षेत्रों की अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ आरक्षित की गयी है।

(iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 6 छात्रवृत्ति अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत अनुसन्धान अध्येतावृत्ति आरक्षित की गयी है।

(v) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत, पाली, प्रकृति विज्ञान, अध्यमगधी, अरबी, पारसी में स्नातकोत्तर स्तर पर 4 छात्रवृत्तियाँ अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत अनुसन्धान अध्येतावृत्ति आरक्षित की गयी है।

(vi) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम के लिए 5 छात्रवृत्तियाँ अथवा संख्या के आधार पर 10 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ आरक्षित की गयी हैं।

(vii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जा रही है।

1.10.1 उत्तर प्रदेश सरकार की योजनायें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार के अनुरूप ही अनुसूचित जाति के शैक्षिक उन्नयन के लिये अनेक योजनायें तैयार की गयी हैं, जिनका क्रियान्वयन एवं प्रशासन शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। ये योजनायें निम्नलिखित रूप में तैयार की गयी हैं –

(i) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों (बजीफा) के लिए पृथक से बजट तैयार करने की व्यवस्था की गयी है।

(ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें, उपकरण,वर्दियों (यूनीाफॉर्म) और खेलकूद के सामान की व्यवस्था करना।

(iii) सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

(iv) गैर–सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधायें प्रदान करना तथा किराये पर आवास के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी की गयी हैं।

(v) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क की पूर्ति राजकीय कोष से करने की व्यवस्था की गयी है।

(vi) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आगे शिक्षा जारी रखने के लिए ऋण की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गयी है।

(vii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आरक्षण की सुविधा राज्य में निर्धारित आरक्षित कोटे के आधार पर प्रदान करना।

(viii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक दस्तकारी से सम्बन्धित कक्षायें प्रारम्भ करना।

(ix) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं से पूर्व कोचिंग की व्यवस्था करना।

(x) स्वःरोजगार के लिए आधुनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था करना।

(xi) अनुसूचित जाति के अनुसंधान कार्य करने वाले विद्यार्थियों को डा0 भीमराव अम्बेडकर स्थापना निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

1.11 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन से सम्बन्धित चलाये जा रहे कार्यक्रम

संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुच्छेदों तथा रक्षापायों के आधार पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के लिये विशेष बजट तथा कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। इनमें कुछ कार्यक्रम केन्द्र सरकार, कुछ कार्यक्रम राज्य सरकारें तथा कुछ कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। जिनको निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया गया है –

1.11.1 विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

मानव संसाधान विकास मंत्रालय के अन्तर्गत विश्वद्यिालय अनुदान आयोग (UGC) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (ICSSR) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अनेक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है –

(i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना।

(ii) महिला छात्रावासों की व्यवस्था करना।

(iii) पुरूष छात्रावासों की व्यवस्था करना।

(iv) बुक बैंक की व्यवस्था करना।

(v) परीक्षाओं तथा रोजगार प्राप्ति पूर्व कोचिंग की व्यवस्था करना।

(vi) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करना।

(vii) शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का आरक्षण करना।

(viii) स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।

1.11.2 विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

राज्य सरकार के अन्तर्गत शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सक्रिय सहायोग से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वे कार्यक्रम निम्नांकित हैं –

(i) विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था करना।

(ii) पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, उपकरण, पोषक और खेल के सामान उपलब्ध कराना।

(iii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना।

(iv) अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक छात्रावास खोलना।

(v) सामान्य जाति के छा़त्रावासों में आरक्षण सुनिश्चित करना।

(vi) सार्वजनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं का सम्पूर्ण व्यय वहन करना।

(vii) शिक्षा के विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं के लिए दिये गये परीक्षा शुल्क तथा शिक्षा व्यय की वापसी (अदायगी) करना।

(viii) मध्यान्ह में भोज की व्यवस्था करना।

(ix) छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये ऋण प्रदान करना।

(x) शिक्षण तथा अध्यन केन्द्र खोलना।

(xi) शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करना आदि।

1.11.3 गैर–सरकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

प्रत्येक राज्य में अनेक ऐसी स्वयं सेवी संस्थायें भी हैं, जो कि अनुसूचित जाति के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। जिससे ये स्वैच्छिक संस्थायें अनुसूचित जाति के बालकों के जीवन स्तर को समुन्नत बनाने की दशा में और अधिक प्रयत्नशील रहें। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये जो संस्थायें प्रयत्नशील हैं उनमें – (i) साक्षरता निकेतन, लखनऊ, (ii) बनवासी सेवा आश्रम, सोनभद्र (iii) लोक सेवा संस्थान एवं आजीवन शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, (iv) कस्तूरबा ट्रस्ट आदि संस्थायें इन जातियों के विकास में विशेष योगदान दे रही हैं। इन संस्थाओं के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वे कार्यक्रम निम्नांकित हैं –

(i) शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(ii) सहकारिता से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(iii) ग्राम उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रम

(iv) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम।

(v) आवासीय सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम आदि।

शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों के सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से नवीनतम् योजनाओं की खोज करना महत्वपूर्ण नहीं आवश्यक भी हैं, जिससे अनुसूचित जातियों का शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी हो सके। एन0सी0ई0आर0टी0 की रिपोर्ट एवं प्रशिक्षण सामग्री जो कि पूर्णतः नवीनतम् (2013) के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के लिये अभी भी बहुत किया जाना बाकी है, जिससे अनुसूचित जातियों की प्रत्येक दशा में सुधार किया जाना सम्भव हो सके।

2.0 समस्या का प्रादुर्भाव

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की अपनी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक समस्यायें रही है, जिनके कारण उनकी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पा रही है जिसकी प्रगति के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। जैसा कि विभिन्न शोध सर्वेक्षणों यथा– रस्तोगी (1977), डिसूजा (1980), चिटनिस (1980), शर्मा (1992), जैन (1993), सिंह (2002), माथुर (2004), अग्निहोत्री (2004), सिंह (2009), कुमार एवं सादाब (2012), प्रियदर्शिनी (2012), नन्द कुमारन (2013), नारायण (2014), पालाडुगू (2014), शर्मा (2014), सिंह (2014), शनी (2014), वानखड़े (2014) आदि में देखने को मिलता है।

कुछशोध अध्ययनों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, शैक्षिक उपलब्धि, सृजनात्मक मूल्य, स्वप्रत्यय, शैक्षिक तनाव, व्यक्तित्व एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन भी किया है, यथा वार्ष्णेय (1984), गौड (1987), गौतम (1990), गुप्ता (1994), सिंह (1999), सिंह (2002), शर्मा (2002), सिंह (2007), सिंह (2008), सैनी (2013), दास (2014), पिल्लई (2014), लाल (2014), पाठक (2014), परीमल (2014), मावल (2014), आदि के अध्ययनों के अतिरिक्त कुछ अध्ययनों जैसा कि सिंह

(2002), यादव (2003), गुरुस्वामी (2013), कुमार (2014), याचना (2014), लावन्या (2014), रमैया (2014), प्रेमी (2014), कौर (2014), खान (2014), पाई (2014), विश्वास (2014), से यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के माता–पिता एवं अभिभावकों का दृष्टिकोण भी उन्हें शिक्षा प्रदान करने के सन्दर्भ में बहुत कुछ उपेक्षित रहा है जिनके कारण उनका सतत् अध्ययन नहीं चल पा रहा है।

विभिन्न शोध सर्वेक्षणों एवं संगोष्ठियों की रिपोर्टों के अध्ययन से यह तथ्य तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें जो विभिन्न शैक्षिक सुविधायें उन्हें प्रदान कर रहीं है उनका छात्रगण भली–भाँति प्रयोग नहीं कर पाते है तथा सम्बन्धित अभिभावक भी उनके प्रति अनभिज्ञ एवं उदासीन ही रहते है। जैसा कि प्रजापति (1982), वर्मा (1983), शर्मा (1984), पाण्डेय (1987), भार्गव एवं अन्य (1989), कक्कड़ (1990), नागरे (1991), श्रीवास्तव (1992), गौतम (1999), ज्योत्सना (2013), मीना (2014) जिनमें इस जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाओ की उपयोगिता पर विशेष चर्चा की गयी है शैक्षिक सुविधाओं की उपर्युक्तता के सन्दर्भ में विशेष रुप से अभिभावकों एवं समाज के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों के अभिमतों को जानने का प्रयास किया गया है कि छात्रों को विभिन्न स्रोतो से मिली सहायता, धनराशि विद्यार्थियों के अध्ययन काल में कब, कैसे और किन माध्यमों से प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को सुधारने में इस सहायता धनराशि ने कितनी प्रेरणा व सहायता प्रदान की है तथा वर्तमान सन्दर्भ में वह सहायता धनराशि कितनी उपयुक्त और उसमें क्या संशोधन चाहते है।

शाह (1987) ने तृतीय शिक्षा शोध सर्वेक्षण की ट्रेण्ड रिपोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं के सन्दर्भ में नियोजित नीतियाँ यद्यपि पूर्णतः स्पष्ट है परन्तु शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का भली प्रकार से क्रियान्वन नहीं किया जा रहा है। लेखक विचारक के अनुसार इस दिशा में कुछ किया जाना आवश्यक है जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े हुये वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, शोध एवं अन्य स्तर (तकनीकि, कृषि, व्यावसायिक आदि) के छात्र–छात्राओं को पर्याप्त लाभ मिल सके। योग्य एवं सामर्थ्यवान छात्र–छात्रायें इन शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में अपने अध्ययन को मध्य में न समाप्त कर सके।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं के भली प्रकार प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित विषय पर एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 नई दिल्ली के शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परामर्शक, प्रो0 एस0 के0 गुप्ता द्वारा दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा सतत् शिक्षा केन्द्र के सहयोग से एक कार्य गोष्ठी 13 से 17 फरवरी 1990 के मध्य मथुरा जनपद के वृन्दावन नगर में आयोजित की गयी गोष्ठी में प्रो0 गुप्ता द्वारा 1989 में अनुसूचित एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता के सम्बन्ध में एक सूक्ष्म अध्ययन भी किया गया था जिसकी रिपोर्ट उन्होंने इस कार्यगोष्ठी में प्रस्तुत की। जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों के शिक्षक, प्रशिक्षकों, प्राचार्यो, शिक्षाशास्त्रियों तथा क्षेत्रीय

महाविद्यालयों के शिक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया था। कार्य गोष्ठी की चक्र मुद्रित आख्या के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में एक भी प्रतिनिधिकारी शैक्षिक शोध उपलब्ध नहीं हो सका है। गोष्ठी प्रतिभागियों का विचार था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं पर तो पर्याप्त शोध कार्य हुआ है लेकिन उन्हें दी जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में शोध कार्य नहीं हुआ है। विशेष रुप से यह जानने के लिये दी जाने वाली शैक्षिक सुविधायें महिला एवं पुरुष, शहरी एवं ग्रामीण, कला एवं विज्ञान वर्ग, कला एवं वाणिज्य वर्ग, विज्ञान एवं वाणिज्य के छात्र–छात्राओं की दृष्टि में कितनी उपयुक्त है तथा ये सुविधायें उन्हें कब उपलब्ध होती है तथा उपभोग वे कहाँ–कहाँ पर करते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में एक ऐसे अध्ययन किये जाने की भी जरुरत महसूस की गयी कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न संकायों यथा–कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग आदि में अध्ययनरत् है जो शहरी एवं ग्रामीण परिवेश से सम्बन्धित हैं, वे केन्द्र एवं राज्य सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस जाति वर्ग के सन्दर्भ में जो शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधायें दी जा रही है, उनके प्रति इस जाति वर्ग के छात्र–छात्रायें एवं अन्तर्निहित समुदाय के अभिभावक कितनी जानकारी रखते है तथा उपलब्ध सुविधाओं के प्रति उनका क्या नजरिया है इन विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों के सन्दर्भ में कितनी जानकारी रखते है।

शोधार्थी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को मौजूदा समय में केन्द्र एवं राज्य सरकारें उनके शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिये कौन–कौन सी सुविधायें प्रदान कर रहीं है? ये शैक्षिक एवं सामाजिक सुविधायें उन्हें कब और कैसे उपलब्ध हो पाती हैं? उपलब्ध शैक्षिक एवं सामाजिक सुविधाओं का उपभोग वे किस प्रकार करते है?इन सुविधाओं के उपभोग के पश्चात क्या उनके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है? उपर्युक्त सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध समस्या का चयन किया है।

3.0. समस्या कथन

विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के निमित्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन।

उपर्युक्त समस्या पर शोध कार्य करने की महत्ती आवश्यकता इस कारण भी है कि शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जाति वर्ग की सहभागिता बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य सरकार (उ0प्र0, सरकार) द्वारा घोषित नवीनतम् योजनाओं की जानकारी होना इस जाति वर्ग विशेष के लिये आवश्यक है। जिससे किवे

अपना शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भलीभाँति कर सकें। साथ ही इस शोध अध्ययन के माध्यम से यह भी जानना आवश्यक है कि क्या उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी इस जाति वर्ग के विभिन्न समुदायों में से कुछ विशेष समुदायों तक ही तो कहीं सीमित नहीं हैं। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन कार्यक्रमों प्रक्रियाओं को विकसित करना आवश्यक हो जाता है। जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के सभी समुदायों के विद्यार्थी उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर उनको प्राप्त कर सकें एवं सही उपभोग कर अपना शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान सम्भव कर सके।

3.1. समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

3.1.1. विश्वविद्यालय स्तर

विश्वविद्यालय स्तर से तात्पर्य उन संस्थानों/महाविद्यालयों से है जिन्हें भारतीय संसद/राज्य विधानमण्डल/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिनियमित किया गया हो, जहाँ पर कम से कम स्नातक स्तर की कक्षायें संचालित हो जिन्हें केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो, से है।

3.1.2 अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति शब्द से आशय उस मानव समूह, मूल वंशों या उन जातियों से है जिन्हें भारतीय संविधान की धारा 341 में ''अनुसूचित जाति''(Schedule Caste) कहा गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति का वर्गीकरण शासनादेश संख्या 1432/26–03–86 विधानसभा दिनांक 26–03–86 एवं विधान परिषद दिनांक 10–07–86, द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1432/26–03–86 (1)(विधानसभा 26–03–86 एवं विधानपरिषद 10–07–86) के सन्दर्भ में जिन अनुसूचित जातियों को मान्यता प्रदान की गयी है। उनको अनुसूचित जाति माना जायेगा।

3.1.3. विद्यार्थी

विद्यार्थी शब्द से तात्पर्य आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल में स्थित डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों एवं महाविद्यालयों, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग आगरा, जी. एल. ए. विश्वविद्यालय मथुरा, मंगलायन विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं से है।

3.1.4 शैक्षिक उन्नयन

शैक्षिक उन्नयन से अभिप्राय विश्वविद्यालय स्तर पर वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक, एवं व्यावसायिक आदि सुविधाओं के माध्यम से उनमें होने वाले शैक्षिक विकास से है।

3.1.5. केन्द्र सरकार

केन्द्र सरकार से तात्पर्य है भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत् संघ सूची एवं सम्वर्ती सूची में निर्धारित किये गये विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त है। इन्हीं विषयों के अनुरुप केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश के लिये कानूनों का निर्माण करती है और उन कानून के तहत् उस पर नियन्त्रण रखती है, से है।

3.1.6 राज्य सरकार

राज्य सरकार से आशय उत्तर प्रदेश शासन का संचालन करने वाली सरकार से है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये राज्य सूची के अन्तर्गत निर्धारित किये गये विषयों पर कानून बनाती है, उनका संचालन करती है और उस पर नियन्त्रण रखती है, से है।

3.1.7. शैक्षिक सुविधाये

शैक्षिक सुविधाओं से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत् केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास, सामाजिक विकास एवं अधिकारिता मन्त्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मन्त्रालय एवं समाज कल्याण मन्त्रालय के अधीन विभागों द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं से है जैसे– शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में दिया जाने वाला आरक्षण, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रावासीय सुविधाओं, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, वित्तीय आर्थिक सहायता आदि अन्य शैक्षिक सुविधाओं से है।

3.1.8. उपलब्धता

उपलब्धता से अभिप्राय है किसी भी वस्तु के प्राप्त होने या सात होने से है।

यहाँ उपलब्धता से अभिप्राय है केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाओं के प्राप्त होने से है जैसे– विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध होने, छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क गणवेश की व्यवस्था, आर्थिक वित्तीय सहायता आदि शैक्षिक सुविधाओं के प्राप्त होने या उपलब्ध होने से है।

3.1.9. उपभोग

उपभोग से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपभोग करने या विषय सुख उठाने से है।

यहाँ उपभोग से तात्पर्य केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु दी जा रही नगद छात्रवृत्ति धनराशि एवं वित्तीय आर्थिक सहायता के रुप में मिली धनराशि से है, प्राप्त धनराशि का उपयोग वह कहाँ–कहाँ करते है, से है।

3.1.10. अभिमत

अभिमत से अभिप्राय किसी वस्तु, कार्य व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति व्यक्त किये गये विचार, राय या मत से होता है।

<u>बेवस्टर शब्दकोष के अनुसार</u>

'' किसी विषय या विशिष्ट वस्तु के प्रति मस्तिष्क में निर्मित विचार या निर्णय ही अभिमत कहलाते है। यहाँ अभिमत से तात्पर्य विश्वविद्यालय पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन के लिये केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त किये गये विचार, राय या मतों से है।

4.0 शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के सन्दर्भ में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों को प्रमुख रुप से दो वर्गो में विभाजित किया गया है जो निम्नवत् हैं–

4.1. प्रमुख उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना
2. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग करने के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का अध्ययन करना।
4. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का यौन–भेद के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. अनुसूचित जाति वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न शैक्षिक संकायों यथा–कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकी, फार्मेसी आदि में अध्ययनरत् है, का केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग करने से पड़ने वाले बहुपक्षीय प्रभावों का अध्ययन करना।
8. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों के मध्य सह–सम्बन्ध ज्ञात करना।

4.2. अध्ययन के गौण उद्देश्य

अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न समुदाओं जाटव, कुरील, धोबी, धानुक, कोरी, बाल्मीकी, बेड़िया, नट, निषाद, डोम, मजहबी आदि समुदाओं के विद्यार्थियों को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5.0. शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

शोध अध्ययन के उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये शोधार्थी ने शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण करना सुनिश्चित किया है। इसका प्रमुख कारण यह था कि वर्तमान में भारत वर्ष को स्वतन्त्र हुये 67 वर्ष बीत चुके हैं, साथ ही भारत वर्ष उत्कृष्ट जनसंचार माध्यमों से युक्त हो चुका है। साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। अतः भारतीय समुदाय विशेषकर विद्यार्थी वर्ग अपने स्वयं के प्रति विशेष रुप से कितने जागरुक है। अनुसन्धेत्सु का मानना है कि अनुसूचित जाति वर्ग भी स्वयं के प्रति जागरुक एवं संवेदनशील है। अतः इस जाति वर्ग के सभी प्रकार के विद्यार्थी भी पर्याप्त रुप से जागरुक होगें। साथ ही निर्मित परिकल्पनाओं के सन्दर्भ में सांख्यिकीय परीक्षण करना भी अनिवार्य होता है। परिकल्पनाओं के परीक्षण में सही सांख्यिकीय सार्थकता परीक्षणों का मूल आधार शून्य परिकल्पनायें भी होती है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये शोधार्थी ने शून्य परिकल्पनाओं को परीक्षित किये जाने का विनिश्चियीकरण किया है

1. अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।
2. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में यौन–भेद के आधार पर अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।
3. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं के अलग–अलग अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।
4. अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिक, फार्मेसी आदि के अभिव्यक्त अभिमतों में अन्तर नहीं होगा।
5. अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न समुदाओं के विद्यार्थी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में समान रुप से सजग होगें।
6. अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न समुदाओं के विद्यार्थी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग करने के सन्दर्भ में समान रुप से जागरुक होगें।

6.0. शोध अध्ययन का सीमांकन

1- प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुसूचित जाति के लिये केन्द्रीय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं तक ही सीमित रखा जायेगा।

2- न्यादर्श में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल में स्थित विश्वविद्यालय स्तर के कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकीय, फार्मेसी वर्ग आदि में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को ही सम्मिलित किया जायेगा।

3- आगरा मण्डल में स्थित सभी जनपदों (आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी) एवं अलीगढ़ मण्डल में स्थित सभी जनपदों (अलीगढ़, हाथरस, एटा, कांशीराम नगर) के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को ही सम्मिलित किया जायेगा।

4- प्रस्तुत अध्ययन में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को ही अध्ययन में शामिल किया जायेगा।

7.0. अध्ययन की विधि

प्रस्तुतशोध अध्ययन हेतु ''वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि'' (Discriptive type survey method) का प्रयोग किया जायेगा।

वेस्ट (1972) के शब्दों में

वर्णनात्मक शोध वर्तमान स्थिति की व्याख्या व विवेचना प्रस्तुत करता है। इसका सम्बन्ध उन स्थितियों व सम्बन्धों से है जिनका अस्तित्व वर्तमान में है, अथवा उन व्यवहारों से है जो कि प्रचलित है, व उन दृष्टिकोणों से है जिनका प्रचलन है तथा उन प्रभावों से है, जिन्हें अनुभव किया जाता है। अथवा उन उपनीतियों से है जो विकासशील है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को सम्पादित करने के लिये वर्णनात्मक सवेक्षण विधि (Discriptive type survey method) को केन्द्र बिन्दु मानकर ही प्रस्तुत शोध अध्ययन सम्पादित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

8.0. अध्ययन बिन्दु

प्रस्तुत शोध का सम्बन्ध विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्रीय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों के बहुपक्षीय विश्लेषणात्मक अध्ययन से है। ये विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सुविधायें निम्न रुप निर्देशन (paradiagram) के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है।

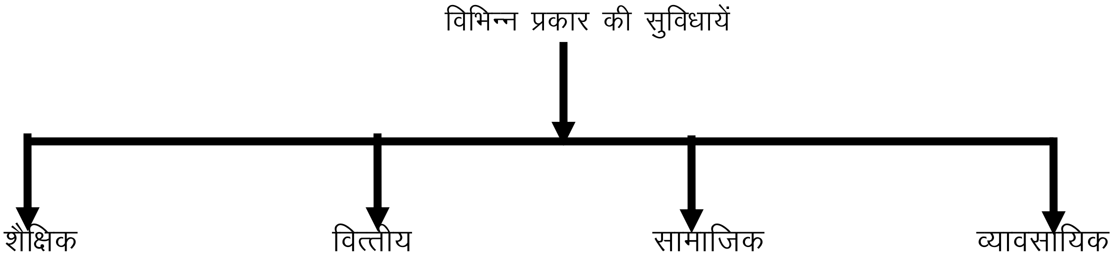

1.शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश 1. शुल्क प्रतिपूर्ति 1. निःशुल्क छात्रावास 1. विश्वविद्यालय स्तर पर तकनीकिएवं
व्यावसायिक शिक्षा
2. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें 2. छात्रवृत्ति 2. सामूहिक भोजन व्यवस्था 2. उच्च व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश
में अध्येतावृत्ति
3. लेखन सामग्री 3. निःशुल्क भोजन3. शोधकार्य वरीयता
एवं छात्रवृत्ति
4. शैक्षिक उपकरण 4. निःशुल्क प्रवेश 4. स्वः रोजगार व्यवस्था
एवं ऋण सुविधा
5. निःशुल्क कोचिंग 5. निःशुल्क गणवेश
6. खेलकूद 6. परीक्षा शुल्क
7.उच्च शिक्षा हेतु ऋण

उपर्युक्त अध्ययन बिन्दुओं को केन्द्रीयभूत मानकर ही प्रस्तुत शोध अध्ययन को सम्पादित किया जायेगा।

9.0. प्रतिदर्श चयन

प्रस्तुतशोध अध्ययन में प्रतिदर्ष का चयन निम्न रुप में किया जायेगा।

9.1. जनसंख्या (Population)

आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल में स्थित डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों, दयालबाग ऐजुकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय मथुरा के कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकीय एवं फार्मेसी पाठयक्रमों में अययनरत् 2000 (दो हजार) छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा।

9.2. न्यादर्श

शोध अध्ययन के सम्बन्ध में न्यादर्श का चयन निम्न रुप में किया जायेगा।

9.3. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का चयन

आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों का चयन न्यादर्श चयन की सौद्देश्य न्यादर्श विधि (Purposive Sample Method) द्वारा किया जायेगा। चयन इकाईयों का विवरण निम्न सारणियों में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी न0 1

आगरा मण्डल में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों का चयन

क्रम संख्या	जनपद का नाम	कुल नगरीय कॉलेज		कुल ग्रामीण कॉलेज		कुल योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	आगरा	3	3	3	3	12
2	मथुरा	3	3	3	3	12
3	फिरोजाबाद	3	3	3	3	12
4	मैनपुरी	3	3	3	3	12
कुल योग		12	12	12	12	48

सारणी न0 2

अलीगढ़ मण्डल में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों का चयन

क्रम संख्या	जनपद का नाम	कुल नगरीय कॉलेज		कुल ग्रामीण कॉलेज		कुल योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	अलीगढ़	3	3	3	3	12
2	हाथरस	3	3	3	3	12
3	एटा	3	3	3	3	12
4	कासगंज	3	3	3	3	12
कुल योग		12	12	12	12	48

9.2.2. विद्यार्थियों का चयन

उपर्युक्त सारणी सं0 1 एवं 2 में दर्शित विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्त्रिकीय, फार्मेसी आदि के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् 1600 (800 छात्र एवं 800 छात्राओं) विद्यार्थियों का चयन आकस्मिक विधि द्वारा किया जायेगा।

10.0 शोध उपकरण एवं प्रविधि

प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु कोई प्रमाणिक शोध उपकरण उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें उपर्युक्त अध्ययन बिन्दुओं के अन्तर्गत शामिल किये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये अभिमत प्रश्नावली का निर्माण किया जायेगा एवं उपकरण की वैधता एवं विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिये प्रमाणिक सांख्यिकीय प्रविधियों का भी प्रयोग किया जायेगा।

शोध अध्ययन के निमित्त प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरणों का निर्माण निम्न चरणों में किया जायेगा।

10.1 प्रथम चरण

उपर्युक्त वर्णित अध्ययन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग अभिमत मापनी का निर्माण किया जायेगा।

10.2. द्वितीय चरण

इस चरण में निर्मित प्रश्नावली एवं अभिमत मापनी को शोध विशेषज्ञों के पास भेजा जायेगा एवं उनके परामर्श के पश्चात बतायी गयी कमियों में सुधार कर निर्मित प्रश्नावली का संशोधित प्रारुप तैयार किया जायेगा।

10.3. तृतीय चरण

इस चरण में निर्मित प्रश्नावली एवं अभिमत मापनी का पद विश्लेषण कर उनकी वैधता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जायेगा।

10.4. चतुर्थ एवं अन्तिम चरण

इस चरण में निर्मित उपलब्धता परीक्षण एवं उपभोग अभिमत मापनी का अन्तिम प्रारुप तैयार किया जायेगा।

11.0 सांख्यिकीय प्रविधियाँ

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा।

11.1. प्रतिशत (Percentage)

11.2. मध्यमान (Mean)

11.3. प्रमाणिक विचलन (S.D.)

11.4. सार्थकता परीक्षण यथा–जेड परीक्षण एवं काई वर्ग परीक्षण।

12.0. अध्ययन का औचित्य

अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गैर–अनुसूचित जातियों के साथ ही बसी हुई हैं।यह जातियाँ प्रारम्भ से ही अस्पृश्यता और उपेक्षा के कारण हीनभावना से ग्रसित रही हैं। अनुसूचित जातियों की विभिन्न दशाओं में सुधार करने हेतु संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है और समय समय पर इन जातियों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तरों में सुधार लाने हेतु विभिन्न संशोधन भी संविधान के अन्तर्गत किये गये हैं। लेकिन इन जातियों के विभिन्न स्तरों में उतना सुधार नहीं हो पाया है, जितना कि कल्पना की जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से इस जाति वर्ग के विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपभोग करने से उनके व्यक्तिगत पर पड़ने वाले प्रभावों को और अधिक सम्बल प्रदान करेगा। जिससे इस जाति वर्ग के विद्यार्थी अपना शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास करने में सक्षम हो सकेगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. **अम्बेडकर भीमराव (1951)** –''जाति विच्छेद'', प्रथम प्रकाशित, नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार, अमृत बुक कम्पनी।
2. **अग्निहोत्री कल्पना (2004)** – ''उच्च एवं अनुसूचित जाति हिन्दु वृद्धाओं की सामाजिक–आर्थिक दशायें एवं समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन'' अप्रकाशित पी0 एच0 डी0, शोध प्रबन्ध, डा0 बी0 आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।
3. **अग्रवाल रेखा (1991)** – ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की उपयुक्तता का अध्ययन'' अप्रकाशित एम0 एड0, लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, डी0 ई0 आई0 (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग,आगरा।
4. **Ackoff R.L. (1953)** – "The Design of Social Research" Chicagao, Chicagao University Press.
5. **अग्रवाल यश (1994)** –''अनुसूचित जातियों में सहायता की प्रवृत्तियाँ'', परिपेक्ष्य, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ वर्ष एक, अंक 2, अगस्त पृ0 सं0 79–104.
6. **अग्रवाल तनुजा (1998)** – ''विशिष्ट समूह की शैक्षिक उपलब्धि के मनोसामाजिक, ज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारक– एक विश्लेषण अध्ययन'' अप्रकाशित पी0 एच0 डी0, शोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, डी0 ई0 आई0 (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग,आगरा।
7. **अग्रवाल, वी0 पी0 (1988)** – ''उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा'' अजमेर क्षेत्रीय महाविद्यालय, राजस्थान।
8. **Best, J.W. (1959)** – " Research in Education", New Delhi, Prentice Hall of India (Pvt) Ltd, India.
9. **भारत चन्द्रभान (1990)** –'' अनुसूचित जातियों के सामाजिक और राजनैतिक विकास के लिये संवैधानिक संरक्षण एवं उनके क्रियान्वन का अध्ययन''। राजनीति शास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0, शोध प्रबन्ध, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।
10. **भारत की जनगणना रिपोर्ट –2001** –फाइनल पोपूलेशन होटल्स 2002 का आलेख, नई दिल्ली।
11. **भारत 2014** –वार्षिक ग्रन्थ, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
12. **भारतीय संविधान 1984** – विधि मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

13- **Chitnis , Suma (1975)** – " Education of the Scheduled Caste general of Higher Education," Vol.l (2) Autumn,pp,167–178.

14. **गौतम एम. के. (1999) –** ''अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की उपयुक्तता के सन्दर्भ में अभिमतों का अध्ययन'' शिक्षा शास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0, शोध प्रबन्ध, डी0 ई0 आई0 (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग,आगरा।
15. **गौतम रजनी (1990) –**''अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, मूल शैक्षिक उपलब्धि तथा शिक्षा की ओर अभिवृत्तियों का अध्ययन'' शिक्षा शास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0, शोध प्रबन्ध, डा0 बी0 आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।
16. **गुप्ता मधु (1994) –** ''अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जाति के प्रथम और प्रथमोत्तर शिक्षित पीढ़ी के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कतिपय मनोसामाजिक कार्यो का तुलनात्मक अध्ययन, '' शिक्षा शास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0, शोध प्रबन्ध, डी0 ई0 आई0 (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग,आगरा।
17. **Gupta S.K. (1990) –** " The Impact of Incentives for the Education of Schedule Caste t Study, Allahabad, NCERT, Regional office.
17. **Guilfort J.P. and Bengamen, F. (1978) –** " Fundamentals statistice in Psychology in Education, 4th International Students Addition", New York, McGraw Hill, Koga Krish Limited,pp,92-104.
18. **कार्य गोष्ठी रिपोर्ट (1990)–** ''उ0प्र0 के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिये शिक्षा उपार्जन हेतु प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन सहायता की उपयुक्तता'' एन.सी.ई.आर.टी. के क्षेत्रीय सलाहकार उ0 प्र0 द्वारा आयोजित 13–18 फरवरी, 1990, वृन्दावन, मथुरा।
19. **कुमार अनिल (2001) –** ''आरक्षण नीति के प्रावधानों का अनुसूचित जातियों के जीवन पर प्रभावों का समाज शास्त्रीय अध्ययन '' – अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
20. **कुमारी मंजू (2005) –**मलिन बस्तियों में विशिष्ट जाति समूह (अनुसूचित जाति) की लड़कियों का शैक्षिक, व्यावसायिक स्तर तथा उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावकों का अभिमत'' – शिक्षा शास्त्र, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, डी0 ई0 आई0 (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग,आगरा।
21. **माथुर शिवेन्द्र (2004) –** '' ग्रामीण अनुसूचित जातियों के सामाजिक– आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका'' – अर्थशास्त्र, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
22. **Mishra, Narayan (2004) –** " Dalits in India", Kalpoz Publication, New Delhi – 110052.
23. **Naidu, R.V. Krishna (2004) –**" Empowerment of Scheduled Caste", Kalpoz Publication, New Delhi – 110052.

24. **एन.सी.ई.आर.टी. (1993) –**'' अनुसूचित जाति शैक्षिक विकास प्रशिक्षित सामाग्री सन्दर्भ ग्रन्थ व्यक्ति'', सन्दर्भित – अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति / जनजाति, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर. टी. प्रकाशन।
25. **Pathak S.N. and Pandey S.P. (2005) –**" Scheduled Caste Development", (A Study of special component plan) Serials Publication, New Delhi – 110052.
26. **Reddy L.B., Narayana M.L.and Rao D.B. (2004) –**" Education for Dalits" Discovery Publication, New Delhi – 110002.
27. **स्वामी पण्डित तुलसीराम (1971) –** ''मनुस्मूति'' – गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पृ0 114.
28. **स्वामी पण्डित तुलसीराम (1976) –**''मनुस्मूति'' – गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पृ0 136.
29. **स्वामी पण्डित तुलसीराम (1978) –**''याज्ञवल्य स्मृति'' – गोयल ब्रदर्स, देहली, श्री काशीनाथ ग्रन्थमाला, पृ0 148.
30. **सिंह, अनन्त (1997)–**फिरोजाबाद जनपद के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों के छात्र–छात्राओं के जीवन प्रतिमानों में हो रहे परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
31. **सिंह, बबिता (2002)–** ''अनुसूचित जातीय कार्यरत शिक्षित महिलाओं पर आधुनिकीकरण के प्रभाव का समाज वैज्ञानिक विश्लेषण – जनपद फीरोजाबाद (उ0 प्र0)'' समाजशास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
32. **सिंह, ममता (2002)–**''अनुसूचित जातियों में सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना'' राजनीति शास्त्र अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
33. **सिंह, निमिषा (2002)–** अलीगढ़ जनपद के महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों के छात्र–छात्राओं के अन्तः एवं अन्तर्जातीय सम्बन्धों का अध्ययन'' समाजशास्त्र अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
34. **सिंह, एन. बी. (1999)–**''अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों में ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान'' समाजशास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
35. **सिंह, आर. के. (2002)–**अनुसूचित जातियों में राजनैतिक जागरुकता एवं मतदान व्यवहार का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' समाज विज्ञान, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
36. **शाक्य, ए0के0 (2002)–**''मैनपुरी जनपद की अनुसूचित जातियों में राजनैतिक जागरुकता एवं मतदान व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

37. **शर्मा, ए0के0 (2002)**–'' जयपुर संभाग के सवर्ण एवं अनुसूचित जाति के माध्यमिक स्तर के छात्रों के बुद्धि स्तर, सृजनात्मक एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन'' शिक्षा शास्त्र – अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
38. **शर्मा, सुभाष (1994)**– ''अनुसूचित जातियों की शिक्षा परिपेक्ष्य शैक्षिक योजना और प्रकाशन का सामाजिक – आर्थिक सन्दर्भ'', नीपा, नई दिल्ली, वर्ष 1, अंक 1, अप्रैल पृ0 133–146।
39. **उपाध्याय आर0 डी0 (1991)**– ''मेरठ वि0 वि0 के सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों के छात्र–छात्राओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' –समाजशास्त्र, अप्रकाशित पी0 एच0 डी0 शोध प्रबन्ध, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
40. **वर्षिक रिपोर्ट (2013–14)** – '' सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
41. **विवरण पत्रिका (1988)** –अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं पिछड़ी जाति के पूर्व दशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं की विवरण प्रक्रिया, लखनऊ, निदेशालय, समाज कल्याण, प्रकाशन विभाग, उ0 प्र0।
42. **विवरण पत्रिका (1992)** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं पिछड़ी जाति के पूर्व दशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं की विवरण प्रक्रिया, लखनऊ, निदेशालय, समाज कल्याण, प्रकाशन विभाग, उ0 प्र0।
43. **वेद्‌य नरेन्द्र (1988)** –''उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, अजमेर, पाठक प्रिंटर्स।
44. www.google.com, www.rediffmail.com, www.ncert.com, www.ncte.com, www.ugc.com, www.icssr.com, www.shodhganga.com itc.